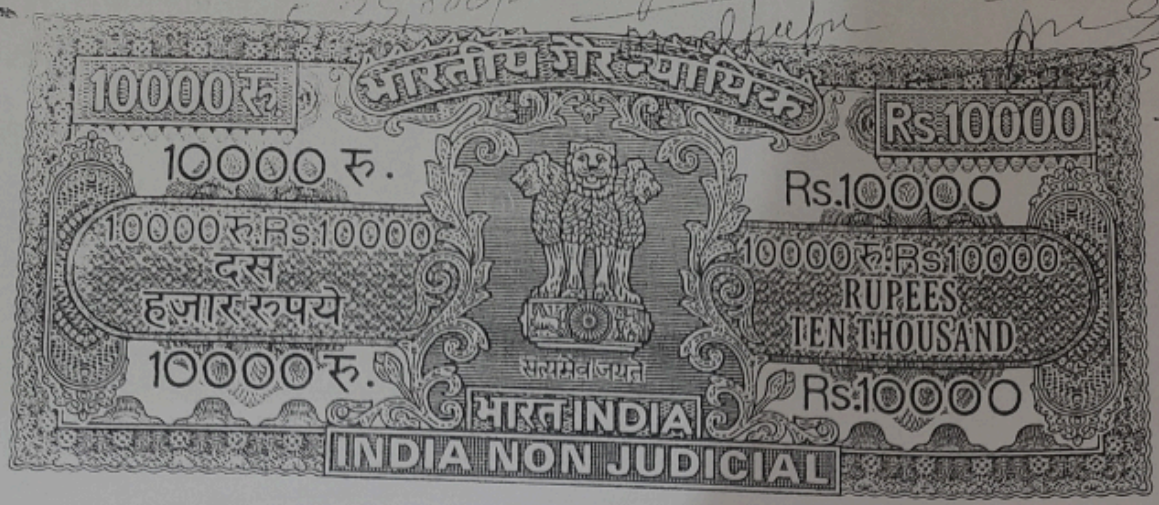

03AA 799760

SALE DEED

केवाला दाता : श्री अरूप कुमार चक्रवर्ती, पिता-स्व0 अमूल्य कुमार चक्रवर्ती, जाति-ब्राह्मण, पेशा-व्यवसाय, साकिन-पथरचपट्टी, मधुपुर टाऊन, थाना व सबडिवीजन-मधुपुर, सबरजिस्ट्री वो जिला-देवघर।

केवाला ग्रहितागण :- 1. मो0 समशाम खाँ,
2. मो0 सादिक अली खाँ,
3. मो0 सदाकत अली खाँ
4. मो0 सद्दाम हुसैन खाँ,

चारों के पिता-स्व0 तहरीम खाँ, जाति-पठान, पेशा-खेती आदि, साकिनान- महुआटांड़, थाना-करौं, सबडिवीजन-मधुपुर, सबरजिस्ट्री वो जिला-देवघर।

5. मो. साकीब खाँ, पिता-स्व0 मो0 मोबिन
6. गुलशन खाँ, पति-मो0 साकीब खाँ
7. मो0 आसिफ खाँ, पिता-स्व0 मो0 मोबिन
8. निकहत परवीन, पति-मो0 आसिफ खाँ, जाति-पठान, पेशा नं0 5 व 7 का वकालत, नं0 6 व 8 का गृहस्वामिनी, साकिनान- वीरकुंवर सिंह लेन, शिशिर कुमार घोष रोड, देवघर टाऊन, थाना, सबडिवीजन, सबरजिस्ट्री वो जिला देवघर।

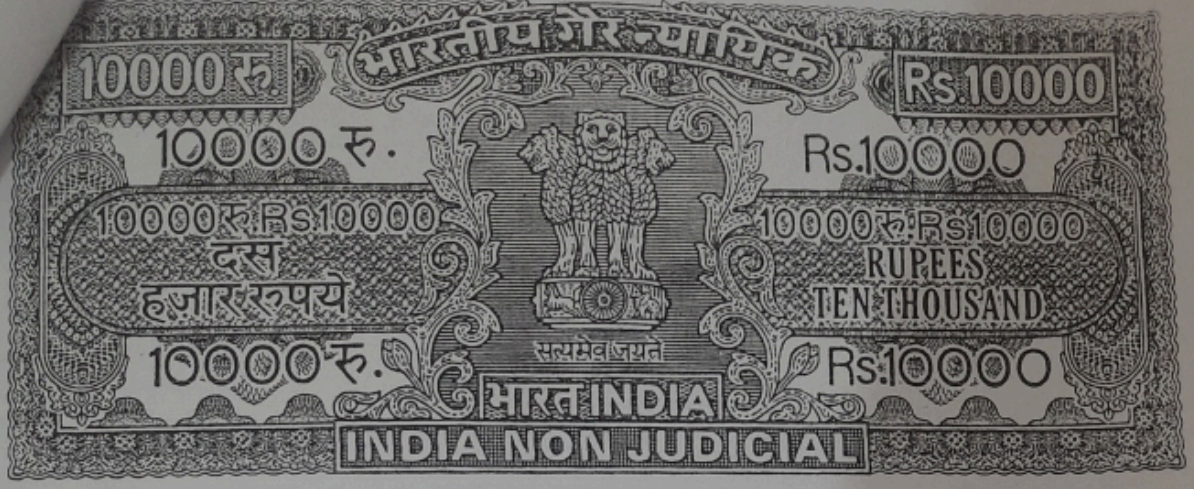

03AA 799759

Arup Kr Chakraborty
11.2.2019.

(2)

लेख्य प्रकार:- बिक्रय खोश केवाला दलील।

कीमत जायदाद :- मो0 5,35,000/- (पांच लाख पैंतीस हजार) रूपये मात्र।

विवरण जायदाद :- निम्न तफशील में वर्णित है।

विदित हो कि मधुपुर टाऊन अंतर्गत मौजा-पथरचपट्टी नं0-271 के अंदर बसौड़ी सत्व की जमीन रकवा-2बीघा, 4 कट्ठा, 13 धूर मय एकतल्ला पक्का मकानादि, कुआं, पेड़-पौधा जो नवीनालय के नाम के जाना जाता है, अंदर हल्का मधुपुर नगरपालिका तत्कालीन वार्ड नं0-2, होल्डिंग नं0-660 में स्थित का श्री बैनीमाधव बंदोपाध्याय, पिता-स्व0 रायकृष्ण बंदोपाध्याय, साकिन-24 नं0 सखाड़ी पाड़ा रोड भवानीपुर, कोलकाता, हाल साकिन-नवीनालय, मधुपुर, जिला-संथाल परगना के निवासी के दादाजी-मालिक व दखलकार थे और उन्होंने अपने उपरोक्त सम्पत्ति व अन्य वास्तु सम्पति का दिनांक-05 मार्च 1927 ई0 में अलीपुर रजिस्ट्री ऑफिस में निबंधित एक कीता सेट्लमेंट दलील जिसकी पुस्तक संख्या-1, जिल्द संख्या-27, पृष्ठ संख्या-179 से 205 तक में निबंधित, दलील संख्या-1089 वर्ष 1927 के द्वारा सेट्लमेंट कर दिया एवं अपने पुत्र रायकृष्णचन्द्र बंदोपाध्याय को उक्त दलील का ट्रस्टी घोषित किया।

उक्त दलील संख्या-1089 वर्ष 1927 के शर्तों के मुताबिक यानि ट्रस्टी जैसा चाहे अपने अनुसार उसमें परिवर्तन कर सकते हैं उसी अनुसार राय कृष्णचंद्र

बंदोपाध्याय बहादुर ने दिनांक 18.7.1930 ई0, दिनांक 07.06.1931 ई0, दिनांक 30.12.1931 ई0 में उक्त दलील में परिवर्तन किया और सारा दलील अलीपुर सबरजिस्ट्री ऑफिस में बुक नं0-1, जिल्द सं0-16, पृष्ठ संख्या-145 से 149 दस्तावेज सं0-3177 वर्ष 1930 व बुक नं0-1, जिल्द संख्या-36, पृष्ठ संख्या-212 से 224 दलील संख्या-2300 वर्ष 1931 एवं बु नं0-1, जिल्द संख्या-13, पृष्ठ संख्या-205 से 211 दलील संख्या-273 वर्ष 1932 बोलकर लिपिबद्ध हुआ। राय कृष्ण चंद्र बंदोपाध्याय ने अपने जीविता अवस्था में ही दिनांक 30.12.1931 ई0 में अपना उक्त सम्पति एवं माधव कोठी नामक सम्पति को अपने पुत्र बेनीमाधव बंदोपाध्याय के नाम से सेट्लमेंट कर दिया और 08. अक्टूबर 1932 ई0 में स्वर्गवास कर गये। उनके मरनोपरांत उनकी पत्नी नवीन काली देवी उक्त सम्पति का ट्रस्टी हुई और दिनांक 08.05.1947 ई0 में स्वर्गवास कर गयी।

उपरोक्त बेनीमाधव बंदोपाध्याय अपने उक्त सम्पति का मालिक व दखलकार रहते हुए निर्विवाद रूप से भोग दखल करते हुए दिनांक 30.11.1951 ई0 में कलकता रजिस्ट्री ऑफिस में निबंधित एक कीता केवाला दलील जिसकी पुस्तक संख्या-1, जिल्द संख्या-104 पृष्ठ संख्या-125 से 130 तक में निबंधित, दलील संख्या-4136 वर्ष 1951 के द्वारा मुझ केवालादाता के पिता अमूल्य कुमार चक्रवर्ती पिता सीतानाथ चक्रवर्ती साकिन मधुपुर टाऊन, जिला संथाल परगना के निवासी के पास बिक्री कर दिया तथा उनके दखल कब्जे में दे दिया।

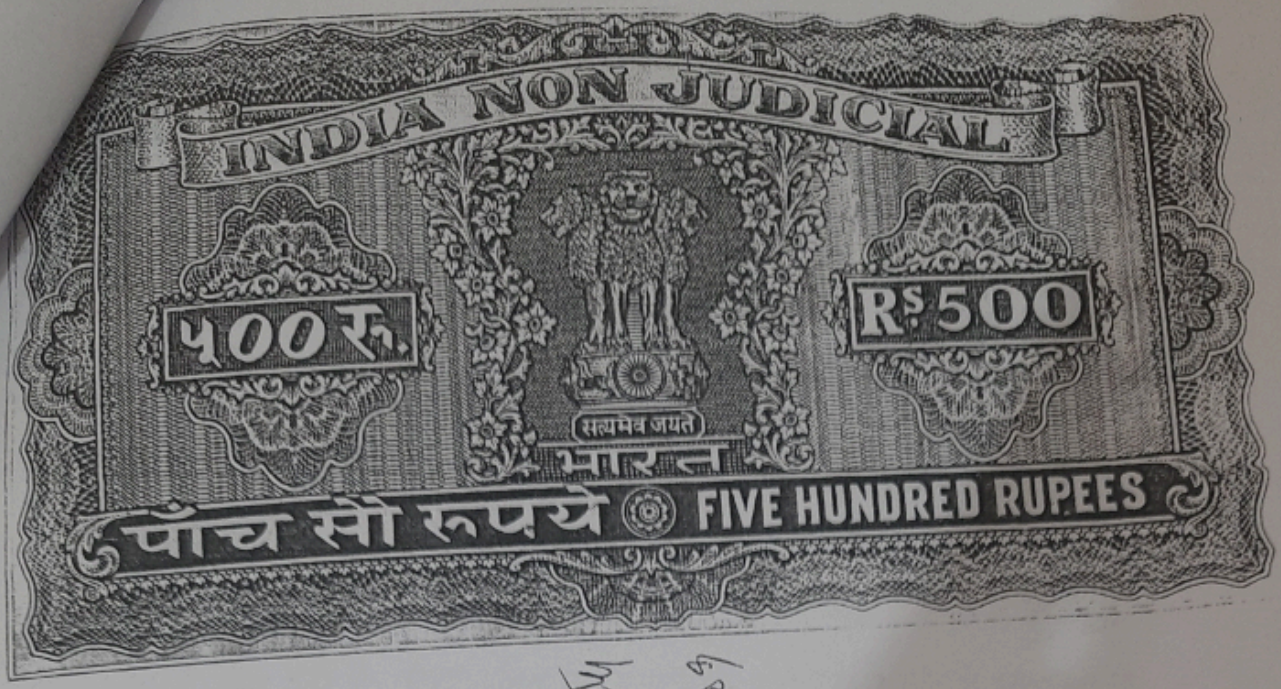

उपरोक्त मुझ केवालादाता के पिता अमूल्य कुमार चक्रवर्ती अपने उक्त खरीदगी सम्पति का मालिक व दखलकार रहते हुए निर्विवाद रूप से भोग दखल करते हुए स्वर्गवास कर जाने पर बहैसियत उनके पुत्र मैं केवालादाता अरूप कुमार चक्रवर्ती उनके उक्त खरीदगी सम्पति का मालिक व दखलकार रहते हुए अंचल कार्यालय मधुपुर में अपने नाम से दाखिल खारिज करवाकर थोका नं0-97/ए, के बावत वार्षिक खजाना अलावे सेस वसूल देते हुए निर्विवाद रूप से भोग दखल करते हुए उसके अंदर अधिकांश जमीन टुकड़ा टुकड़ा करके बिक्री कर चुका हूँ।

अभी मुझ केवालादाता को अपने आवश्यक खर्च एवं अन्य कार्यों के लिए रूपये की निहायत जरूरत है इसलिए मैं केवालादाता ने अपना उपरोक्त सम्पति के अंदर बचा हुआ शेष सम्पति जिसका पूर्ण विवरण निम्न तफशील में वर्णित है को बिक्री करने का शोहरत किया तथा आपलोग केवालाग्रहिता ने उसे खरीद करने का इरादा जाहिर करने पर उभय पक्षों की सहमति से उसका कीमत मो0 5,35,000/- (पांच लाख पैंतीस हजार) रूपये तय हुआ।

अतएव आज तारीख मैं केवाला दाता ने आपलोग केवालाग्रहिता से कीमत का कुल मो0 5,35,000/- (पांच लाख पैंतीस हजार) रूपये नगद एक मुश्त लेकर अपना निम्न तफशील में वर्णित सम्पत्ति शामिल सुदा नक्शा में लाल रंग से रंगा हुआ अंश मय कुल हक हकुक आपलोग केवालाग्रहिता के पास बिक्री कर दिया तथा आपलोगों के दखल कब्जे में

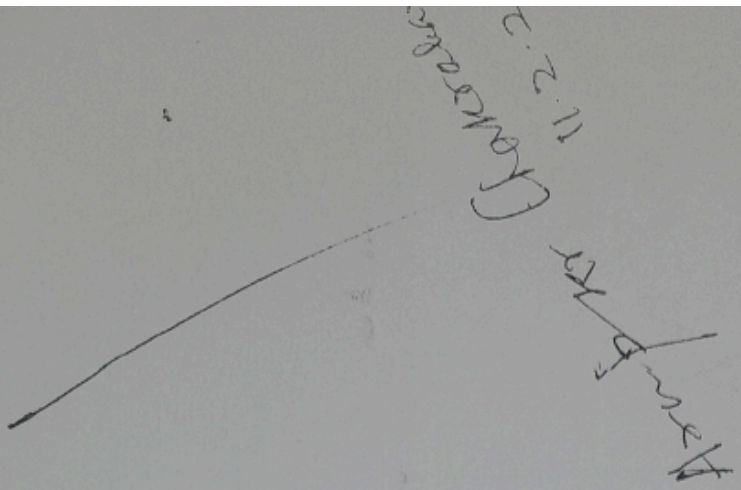

दे दिया।

अब आपलोग केवालाग्रहिता मुझ केवालादाता के दखल व सत्व से दखलकार वो सत्ववान होकर मय अपने-अपने पुत्र-पोत्रादि वारिशान को स्थलाभिषिक्तिगण क्रम से दान, बिक्री, मोरगेज वो नाना तरह के दाय संयुक्त के हस्तांतरणादि करने का पूर्ण अधिकारी होकर स्वेच्छानुसार भोग दखल करते रहें, इसमें मुझ केवालादाता मय वारीशान को किसी तरह का कोई उज्र एतराज नहीं होगा और न कोई कर सकेगा अगर कोई करे या करावे तो वह सरे अदालत नाजायज व वातील होगा।

बिक़ीत सम्पत्ति मैं केवालादाता ही मालिक वो दखलकार हूँ इसमें कोई अन्य शामिल नहीं है और न कवल इसके बिक्रीत सम्पत्ति को किसी के पास या किसी के साथ दाय संयुक्त या हस्तांतरण किया हूँ यानि बिक्रीत सम्पति हर तरह वो हर हर तरफ से पाक वो साफ है।

उपरोक्त उक्तियों के खिलाफ अगर प्रमाणित हो या मुझ केवालादाता के दखल-सत्व के दोष से यदि आपलोग केवालाग्रहिता के खरीदगी हक में कोई खलल पहुंचे तो मैं केवालादाता आपलोग केवालाग्रहिता से लिया हुआ कुल रूपया मय खर्चा व हर्जाना का देनदार रहूंगा।

निम्न बिक्री सम्पत्ति के बावत अगर मुझ केवालादाता मय वारीशान को और भी कुछ लिखना पड़ेगा तो मैं केवालादाता मय वारीशान आपलोग केवालाग्रहिता मय वारीशान के खर्च व अनुरोध पर वैसा लिखने के लिए तैयार रहूँगा।

एतद्‌र्थ अपने मन व शरीर की स्वस्थता में रहकर बिना किसी के दबाव या बहकावे के कीमत का कुल मो0 5,35,000/- (पांच लाख पैंतीस हजार) रूपये नगद पाकर यह बिक्रय खोश केवाला दलील लिख दिया, जो प्रमाण रहे।

इति तारीख : 11/02/2009 ई0

तफ़शील सम्पत्ति

थाना नं0 271 जिला वो सबरजिस्ट्री देवघर, थाना व सबडिवीजन-मधुपुर सामिल मौजा पथरचपट्टी के अंदर बसौड़ी सत्व की जमीन थोका नं0-97/ए, रकवा 5737.5 वर्गफीट स्थानीय माप से 5 कट्ठा 2 धूर मय तदुपस्थित 350 वर्गफीट में पक्का एकतल्ला मकानादि जो तारा माँ निवास के नाम से जाना जाता है अंदर हल्का मधुपुर नगरपालिका वार्ड नं0-3, नया वार्ड नं0-11, होल्डिंग नं0-660 पुराना, वर्तमान होल्डिंग नं0-258, शामिल सुदा

नक्शा में लाल रंग से रंगा हुआ अंश मय कुल हक हकुक बिक्री किया जिसकी चौहदी -

उत्तर :- म्यूनिसीपल रोड।

दक्षिण :- मो0 सगीर की जमीन।

पूरब :- म्यूनिसीपल रोड (तिलक विद्यालय रोड।)

पश्चिम :- आशा देवी अग्रवाल व दिलीप राय वगैरह एवं साधना चक्रवर्ती की जमीन।

घोषण :- बिक्रीत सम्पत्ति मुख्य सड़क से सटा हुआ है जो आवासीय है जिसका निर्धारित दर से मूल्यांकन कर स्टाम्प शुल्क दिया गया है एवं जिसका भू-हस्तांतरण सत्यापन अंचलाधिकारी, मधुपुर के पत्रांक-118 दिनांक-19.12.2008 के द्वारा प्राप्त है।

गवाहान :-

दस्तावेज पढ़कर फरिकेन को सुना वो समझा दिया।

प्रारूपकर्त्ता

डीड राइटर, देवघर

11.2.2009

(8)

Md. Saquib Khan
11/02/09

Arup Kr Chakraborty
11.2.2009

Gulshan Khan
11/2/09

Md Asif Khan
11/2/09

Md Asif Khan

निखत परवीन
11/2/09

प्रमाणित किया जाता है कि दस्तावेज में लगे छाया चित्र वाले व्यक्तियों ने अपने-अपने बांये हाथ के अंगुलियों का निशान मेरे सामने दिया है। [illegible]